



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262694
CG-DL-E-25042025-262694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1837]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 1837]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1870(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लौरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लौरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लौरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1961 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4992(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1864(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4608 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1136(अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4611(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1870(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Lauric Acid (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, vide number S.O. 1961(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 4992(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1864(E) dated the 24th April, 2023, S.O. 4608(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1136(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4611(E) dated the 22nd October, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1871(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1962 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4993 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1865 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4609 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1137 (अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4612 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1871(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Acid Oil (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1962(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4993(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1865(E) dated the 24th April, 2023, S.O. 4609(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1137(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4612(E) dated the 22nd October, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1872(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1963 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4994(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1866(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4610 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1138(अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4613 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1872(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Palm Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1963(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4994(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1866(E) dated the 24th April, 2023, S.O. 4610(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1138(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4613(E) dated the 22nd October, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1873(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1964(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4995(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1867(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4611(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1139(अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4614(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1873(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1964(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4995(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1867(E) dated the 24th April, 2023, .O. 4611(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1139(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4614(E) dated the 22nd October, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1874(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1965(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4996(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1868(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4612(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1140(अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4615(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1874(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1965(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4996(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1868(E) dated the 24th April, 2023, S.O. 4612(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1140(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4615(E) dated the 22nd October, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1875(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह आदेश 24 अक्टूबर, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II -13012/1/2021- रसायन.II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1967(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4997(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022, का.आ. 1869(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2023, का.आ. 4613(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 1141(अ), तारीख 7 मार्च, 2024 और का.आ. 4616(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2024 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1875(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2025”.

[F. No. C.II-13012/1/2021- Chem.II]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1967(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4997(E) dated the 21st October, 2022, S.O. 1869(E) dated the 24th April, 2023, S.O. 4613(E) dated the 19th October, 2023, S.O. 1141(E) dated the 7th March, 2024 and S.O. 4616(E) dated the 22nd October, 2024.